

(घ)

रूप - पत्र 1

(व्यापारी द्वारा रखा जायेगा)

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियम, 1948 का नियम 50 देखिये)

चालान संख्या.....कोषागार/उप-कोषागार.....स्थान.....

स्टेट/रिजर्व बैंक आफ इंडिया.....में नकद भुगतान की गयी धनराशि का चालान

विप्रेषक	द्वारा भरा जायेगा	विभागीय अधिकारी या कोषागार द्वारा भरा जायेगा		
किसके द्वारा दिया गया	उस व्यक्ति का नाम या पदनाम और पता जिसकी ओर से धनराशि का भुगतान किया जाय।	विप्रेषित धन और प्राधिकारी का (यदि कोई हो) पूरा विवरण	धनराशि	लेखाशीर्षक बैंक का आदेश
		क- केन्द्रीय विक्रय कर 800 ख- राज्य व्यापार कर 1. पंजीयन 2. कर की उगाही 3. अधिभार 4. समाधान शुल्क 5. ब्याज 6. अन्य प्रतियां	0040-बिक्री व्यापार आदि पर कर उपशीर्षक 110-व्यापार कर(4) व्यापार कर, वाणिज्य कर, केन्द्रीय विक्रय कर आदि।	सही। प्राप्त करो। और रसीद दो। रूपये का भुगतान किये जाने के लिये आदेश देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर और पद नाम

योग

(शब्दों में) रूपया सरकार के किसी अधिकारी के माध्यम से बैंक को विप्रेषण करने की स्थिति में ही उपयोग में लाया जायगा।

भुगतान प्राप्त किया (शब्दों में) रूपया	दिनांक
कोषपाल	लेखाकार कोषाधिकारी/एजेन्ट

टिप्पणी - (1) कोषागार में भुगतान की स्थिति में 500 रूपये से कम की धनराशि के लिए रसीद पर कोषाधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, केवल लेखाकार और कोषपाल का हस्ताक्षर अपेक्षित है।
(2) दी गई धनराशि का विवरण पीछे दिया जाना चाहिए।

विवरण	धनराशि
	रूपया
	पैसा

सिक्का.....
नोट (व्योरे सहित).....
चेक (व्योरे सहित).....

योग